



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा जिला

रीवा (म०प्र०)



श्रीमती आशा सैनी, पत्नी श्री अशोक कुमार सैनी, निवासी कोतमा, थाना व तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म०प्र०)आवेदक

बनाम

- श्रीमती रमा श्रीवास्तव पत्नी यज्ञनारायण श्रीवास्तव, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 12, अमरकंटक तिराहा, चचाई रोड अनूपपुर (म०प्र०) वास्तविक निवास घरौला मोहल्ला वार्ड नं० 15 कमिश्नर निवास के पीछे विवेक श्रीवास्तव के मकान में शहडोल जिला शहडोल (म०प्र०)
- सुश्री सुधा द्विवेदी उम्र 47 वर्ष आत्मजा अयोध्या प्रसाद द्विवेदी निवासी अमरकंटक तिराहा वार्ड नं० 12 चचाई रोड अनुपपुर जिला अनूपपुर (म०प्र०)
- भीखू उर्फ भीखम राठौर, उम्र 62 वर्ष, पिता स्व० हीरालाल राठौर, निवासी ग्राम सामतपुर, थाना व तहसील अनूपपुर जिला अनूपपुर (म०प्र०)
- म०प्र० शासन जरिये जिलाध्यक्षअनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 02.11.2012 जो न्यायालय श्रीमान् आयुक्त शहडोल सम्भाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 162/अपील/2010-11 में पारित किया जो अपर कलेक्टर, अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 156-अ-21/2009-10 के आदेश दिनांक 29.10.2010 से उद्भूत हुआ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०

आवेदन पत्र बावत् प्रकरण को पुनर्स्थापित किये जाने अन्तर्गत धारा 35 उपधारा 3 म०प्र०भू०रा०सं० 1959 ई.

प्रकरण क्रमांक आर-371-द्वितीय/2013

मान्यवर,


आवेदन पत्र निम्नलिखित है :-

III/पुनर्स्थापन/
अनुपपुर/शु.रा/
2017/2716

अधिव० श्री सुनील कुमार
वारा पेशा 18-8-17

कोर्ट ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र०
(सर्किट कोर्ट) रीवा

18-8-17.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं आदि के नामों
<p>131</p> <p>19-12-17-</p> <p><u>27/12/17</u></p>	<p>1 - साप्ताहिक योगी दिनांक 27-12-17 हेतु वाणी गणी।</p> <p>भावेक अक्षर आ - इनील- अक्षराल 24-12-17 के नके के की प्रमाणनके नके अक्षर युक्त आदेशवादी</p> <p>सक्षर</p>	
<p><u>27/12/17</u></p>	<p>भावेक अक्षरवादी के नके अक्षर- विचार किया गया। R- 371 - II/13 दिनांक 24/12/17 को- अक्षर अक्षर में स्वीकृत हो गया था। अक्षर R- 371 - II/13 में पारित आदेश दिनांक 24/12/17 को पुनः अक्षर- अक्षर जाने के आदेश- दिये जाते हैं अक्षर अक्षर अक्षर- अक्षर- अक्षर किया जाता है।</p> <p>सक्षर</p>	